

10/10
12

अधिवक्तागण उपस्थित, निर्णय अलग
से लिखवाया जाकर सुनाया गया।
प्राचीन का प्राथमिक पत्र भली-
भांति साबित होने पर स्वीकार
किया जाता है। अद्वैत इस आशय
का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम
प्राप्त है। पत्रावली निर्णय लेकर
गम्बर से काम लेकर वापस वक़्त है।



उपसद अधिकारी (राजस्व)
श्री कठपुट